संसदीय सचिव (विशेष भत्ता संदाय और निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 12)

[11 जून, 1971]

संसदीय सचिव को विशेष भत्ते का संदाय करने और यह घोषित करने के लिए कि संसदीय सचिव का पद पांडिचेरी विधान सभा सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए उसके धारक को निरर्हित न करेगा, अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में पांडिचेरी विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसदीय सचिव (विशेष भत्ता संदाय और निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. संसदीय सचिव को विशेष भत्ते का संदाय---पांडिचेरी विधान सभा के किसी सदस्य को, जिसे संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, समय-समय पर ऐसे सदस्य के रूप में वेतन और अन्य भत्तों के अतिरिक्त, जिसके लिए कि वह हकदार है, एक सौ पचास रूपए प्रति मास विशेष भत्ते का संदाय किया जाएगा ।

3. संसदीय सचिव के पद का निरर्हित न होना----यह घोषित किया जाता है कि संसदीय सचिव का पद उसके धारक को *पांडिचेरी विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए, निरर्हित न करेगा ।

* अब, पुडुचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 5 द्वारा (1-10-2006 से) प्रतिस्थापित ।